मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

साइबर क्राइम

सिग्नेचर बिल्डिंग
पंचम तल, टावर नं0- चार,
गोमतीनगर विस्तार लखनऊ-226002

संख्याः-सा0क्रा0 (जनसूचना-36)/2025
दिनांकः- दिसम्बर 04 ,2025

सेवा में,

जनसूचना अधिकारी,
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः- आवेदक श्री योगी एम0पी0 सिंह द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया आप अपने पत्र दिनांक **28.11.2025** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आवेदक श्री योगी एम0पी0 सिंह द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत कतिपय बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी हैं।

अतः सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत आवेदक द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर मांगी गयी वांछित सूचना आपके अवलोकनार्थ प्रेषित है।

क्र.सं.	प्रश्न	जवाब
1.	Please provide the designations appointing investigation officers in such huge scam in the Department of police. Correction: Please provide the minimum and typical designations (eg. Inspector DSP, SP) of police officers who are officially appointed as Investigation Officers IOs for cases involving a financial scam exceeding Rs. 10 crore, specifically for offenses under the IPC and the IT Act concerning tax fraud by misusing PAN.	Section 78 of India's Information Technology (IT) Act, 2000, grants police officers, not below the rank of Inspector, the authority to investigate offenses under the Act. Remaing part of asked question does not belong to cyber crime.

2.	In the case of tax fraud by misusing PAN, Please provide the name of investigation officers in Uttar Pradesh police who know the full form of abbreviations TIS, TOS and TCS commonly used to buy a department of income tax in its documents. Correction: Please confirm whether the official training curriculum for Investigation Officers handling economic and cyber-crimes in the Uttar Pradesh Police includes mandatory modules on basic Income Tax Department ITD terminology, and if so, please provide the names of the training academies/modules where IOs are taught the full form and operational context of common ITD abbreviations like TIS (Taxpayer Information Summary), TDS (Tax Deducted at Source), and TCS (Tax Collected at Source)	Not Related to Cyber crime
3.	Please provide the total number of Cases Concerning the misuse of PAN with the ulterior motive of tax fraud registered by police in Uttar Pradesh. Correction: Please provide the total number of cases registered in the State of Uttar Pradesh over the last five 5 financial years (e.g., FY 2020-21 to FY 2024-25) concerning the misuse of a Permanent Account Number PAN with the ulterior motive of tax fraud	Not Related to Cyber crime
4.	Please provide the success rate of such investigations. Correction: Please provide the success rate (defined as cates resulting in a charge sheet/final report filed in court) for the cases mentioned in point 3 above, for the same five-year period	Not Related to Cyber crime
5.	Provide the name and designation of the officer who monitors such reports and takes action In the office of the Department of home. Correction: Please provide the name and designation of the highest-ranking officer in the Department of Home, Uttar Pradesh	Not Related to Cyber crime

पुलिस अधीक्षक,
साइबर क्राइम मुख्यालय,
लखनऊ,उ0प्र0 ।

प्रतिलिपिः- आवेदक श्री योगी एम0पी0 सिंह निवासी मोहल्ला सुरैखापुरम,जढ़ालपुर रोड,मिर्जापुर - 231001 को सूचनार्थ ।

626
29/11/25

1057749

सूचना का अधिकार प्रकरण/समयबद्ध

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

टावर–2, प्रथम तल पुलिस मुख्यालय, शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226002

पत्र संख्याः डीजी–14–ज0सू0अ0– DGP/OF/R/2025/80632 दिनांकः नवम्बर 28,2025

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी,
साइबर क्राइम मुख्यालय,
उ0 प्र0 लखनऊ।

विषयः जन सूचना अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत आवेदक/आवेदिका श्री योगी राम0पी0 सिं जनपद मिर्जापुर का प्रार्थना पत्र आन्तरित किये जाने विषयक।

कृपया, उपरोक्त विषयक संलग्न आवेदक/आवेदिका श्री योगी-राम0पी0सिंह नि0 उपरोक्त के पत्र दिनांक 25/11/25 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आवेदक ने इस मुख्यालय में निर्धारित शुल्क रू0 10/– नगद/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या ऑनलाइन भेजते हुए उक्त अधिनियम के अर्न्तगत अपने प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों/बिन्दुओं के सम्बन्ध में सूचना/अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदक/आवेदिका द्वारा अपेक्षित सूचना/अभिलेखों का सम्बन्ध आपकी जनपद/इकाई से सम्बन्धित होने के कारण आवेदक उपरोक्त का प्रार्थना पत्र दिनांक 25/11/25 उक्त अधिनियम की धारा 6(3) में निहित प्राविधानों के तहत अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको आन्तरित किया जाता है। अनुरोध करना है कि प्रश्नगत प्रकरण का सम्बन्ध आपकी शाखा से न होने की स्थिति में कृपया अपने स्तर से सर्व सम्बन्धित को उक्त अधिनियम में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार आन्तरित करने का कष्ट करें।

3. इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि आवेदक/आवेदिका श्री योगी राम0पी0सिं के उपरोक्त आवेदन पत्र का उक्त अधिनियम में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत भली–भांति परिशीलन करलें तथा जनसूचना अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचना/अभिलेखों को अपने निकट पर्यवेक्षण में तैयार कराकर तथा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये नियमानुसार, देय सूचना/अभिलेख आवेदक/आवेदिका को निर्धारित समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार ।

28/11/25
जनसूचना अधिकारी,
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ।

रजिस्टर्ड डाक से प्रतिलिपिः श्री योगी राम0पी0सिंह R/O मोहल्ला सुरेशपुरम, जबलपुर रोड, मिर्जापुर-231001 को उनके पत्र दिनांक 25/11/25 के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित कि उनके द्वारा अपेक्षित सूचनाओं का सम्बन्ध साइबर क्राइम मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बंधित होने के कारण उनका प्रार्थना पत्र सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अर्न्तगत जन सूचना अधिकारी कार्यालय साइबर क्राइम मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ को आन्तरित किया जा रहा है। कृपया अग्रेतर जानकारी सीधे वहीं से प्राप्त करने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त आपको यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम में निहित प्राविधानों के तहत निर्धारित समयावधि में सूचनाएं न प्राप्त होने अथवा किसी प्रकार की असुविधा होने की दशा में वे अपना प्रथम अपीलीय प्रत्यावेदन सक्षम प्रथम अपीलीय अधिकारी, साइबर क्राइम मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत करने पर विचार कर सकते है। इसके अतिरिक्त विदित कराना है कि "उत्तर प्रदेश राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनो।प्रथम अपलों को आनलाइन प्राप्त कर निस्तारित किये जाने हेतु एक वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in विकसित किया गया है। भविष्य में जनसूचना के लिए आवेदन/प्रथम अपील करने हेतु आप उक्त वेब पोर्टल का उपयोग कर सकते है।"

प्रतिलिपिः आंकिक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 लखनऊ को उक्त पोस्टल आर्डर मूल रूप में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि कृपया उसे राजकीय कोष में जमा किये जाने सम्बन्धी अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करें।

संलग्नकः उक्त पोस्टल आर्डर मूल रूप में।

जनसूचना

AC-III

01/12/25

29/11

पुलिस महानिदेशक
साइबर क्राइम, उ० प्र०
लखनऊ